न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/44/2021 रजि0 न0 2021/81

अपीलार्थी:–

श्री योगेश कुमार पुत्र श्री रगबीर प्रसाद निवासी तह0 नीमराना, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर,जिलाअलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 23.03.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक जिपअ/आर.टी.आई/2021/2334 दिनांक 17.03.2021 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की चाही गई वांछित सूचना पूर्व में ही जरिये पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 10.02.2021 के द्वारा लिखा जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है साथ ही अवगत कराया है की कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज0)